

३. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ -इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये

३.१ उपलब्ध पदसंख्या:- ५४

३.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०५७/२०२४ | शरीररचनाशास्त्र (Anatomy) | एकूण पदे | -- | ०३ | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०२ | ०७ | -- | ०७ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०२ | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | ०५ | -- | ०५ | |
| | | महिला | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०२ | -- | ०२ |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०५८/२०२४ | शल्यचिकित्साशास्त्र (General Surgery) | एकूण पदे | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | ०२ | -- | १० | १५ | -- | १५ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०५ | ०७ | -- | ०७ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०१ | -- | ०५ | ०८ | -- | ०८ | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | १ पद- अस्थिव्यंगता/मेंदुचा पक्षघात/कुष्ठरोग मुक्त/शारिरिक वाढ खंटणे/आम्ल हल्लाग्रस्त/ स्नायु विकृती करीता आरक्षित. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०५९/२०२४ | क्षयरोग व उरोरोगशास्त्र, (Tuberculosis and Chest Disease) | एकूण पदे | ०१ | ०१ | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०५ | -- | ०५ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०३ | -- | ०३ | |
| | | महिला | ०१ | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०२ | -- | ०२ |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०६०/२०२४ | बालरोगचिकित्साशास्त्र, (Paediatrics) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०२ | ०१ | -- | -- | ०३ | -- | ०३ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०२ | -- | ०२ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०६१/२०२४ | न्यायवैद्यकशास्त्र, (Forensic Medicine) | एकूण पदे | -- | ०२ | ०१ | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०३ | ०८ | -- | ०८ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०२ | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | ०५ | -- | ०५ | |
| | | महिला | -- | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०२ | ०३ | -- | ०३ | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०६२/२०२४ | मनोविकृतीशास्त्र, (Psychiatry) | एकूण पदे | -- | -- | ०१ | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०२ | ०५ | -- | ०५ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | ०१ | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०१ | ०४ | -- | ०४ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०६३/२०२४ | सुक्ष्मजीवशास्त्र, (Microbiology) | एकूण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०३ | -- | ०३ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०३ | -- | ०३ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|
| ०६४/२०२४ | अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र, (Orthopaedics) | एकुण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०२ | -- | ०२ |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | ०२ | -- | ०२ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
| ०६५/२०२४ | त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र, (Dermatology, Venereology and Leprosy) | एकुण पदे | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०२ | ०५ | -- | ०५ |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | ०४ | -- | ०४ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे |
| ०६६/२०२४ | नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र, (Ophthalmology) | एकुण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | |

४. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये - नंदुरबार

४.१ उपलब्ध पदसंख्या:- १०

४.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०६७/२०२४ | बध्दरीकरणशास्त्र (Anesthesiology) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
| ०६८/२०२४ | शरीररचनाशास्त्र (Anatomy) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
| ०६९/२०२४ | शल्यचिकित्साशास्त्र (General Surgery) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०२ | -- | ०२ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०२ | -- | ०२ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |
| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
| ०७०/२०२४ | न्यायवैद्यकशास्त्र, (Forensic Medicine) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | महिला | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | | | |

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०७१/२०२४ | विकृतीशास्त्र, (Pathology) | एकुण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |
| ०७२/२०२४ | सुक्ष्मजीवशास्त्र, (Microbiology) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०२ | -- | ०२ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | -- | -- | ०२ | -- | ०२ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |
| ०७३/२०२४ | अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र, (Orthopaedics) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |
| ०७४/२०२४ | त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र, (Dermatology, Venereology and Leprosy) | एकुण पदे | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |

५. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये - अलिबाग

५.१ उपलब्ध पदसंख्या:- ०३

५.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०७५/२०२४ | क्षयरोग व उरुरोगशास्त्र, (Tuberculosis and Chest Disease) | एकुण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |
| ०७६/२०२४ | मनोविकृतीशास्त्र, (Psychiatry) | एकुण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |
| ०७७/२०२४ | अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र, (Orthopaedics) | एकुण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | -- | | | | | | | | | | | | | |
| | | दिव्यांग | -- | | | | | | | | | | | | | |

६. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये - सातारा

६.१ उपलब्ध पदसंख्या:- ०३

६.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०७८/२०२४ | शरीररचनाशास्त्र (Anatomy) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | -- | -- | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | -- | -- | | | |
| ०७९/२०२४ | क्षयरोग व उरोरोगशास्त्र, (Tuberculosis and Chest Disease) | एकूण पदे | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | ०१ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | -- | -- | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | -- | -- | | | |
| ०८०/२०२४ | औषधवैद्यकशास्त्र, (General Medicine) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | -- | -- | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | -- | -- | | | |

७. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये - सिंधुदूर्ग

७.१ उपलब्ध पदसंख्या:- ०३

७.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०८१/२०२४ | शरीररचनाशास्त्र (Anatomy) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०२ | ०२ | -- | ०२ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | -- | -- | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | -- | -- | | | |
| ०८२/२०२४ | औषधशास्त्र, (Pharmacolog) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | -- | -- | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | -- | -- | | | |

८. विविध विषयांतील सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये - धाराशिव

८.१ उपलब्ध पदसंख्या:- ०२

८.२ भरावयाच्या पदांचा सामाजिक/समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि शै. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०८३/२०२४ | शल्यचिकित्साशास्त्र (General Surgery) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | -- | -- | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | -- | -- | | | |

| जाहिरात क्र. | विषय | प्रवर्ग | अ.जा. | अ.ज. | वि.जा. (अ) | भ.ज. (ब) | भ.ज. (क) | भ.ज. (ड) | वि.मा.प्र. | सा.आणि श्री. मा. वर्ग | आ.दु.घ. | इ.मा.व. | एकूण आरक्षित | अराखीव (खुला) | एकूण पदे | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----|
| ०८४/२०२४ | क्षयरोग व उरोरोगशास्त्र, (Tuberculosis and Chest Disease) | एकूण पदे | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ | |
| | | सर्वसाधारण | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ०१ | ०१ | -- | ०१ |
| | | महिला | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | खेळाडू | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | अनाथ | | | | | | | | | | | | | | |
| | दिव्यांग | | | | | | | | | | | | | | | |

१. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

१०. अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया/कालावधी :-

| अ.क्र. | तपशील | विहित कालावधी |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| १ | अर्ज सादर करावयाचा कालावधी | दिनांक २३ डिसेंबर, २०२४ रोजी १४.०० ते दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ रोजी २३.५९ |
| २ | ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांक | दिनांक १३ जानेवारी, २०२५ रोजी २३.५९ |
| ३ | भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक | दिनांक १५ जानेवारी, २०२५ रोजी रोजी २३.५९ |
| ४ | चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भण्याचा अंतिम दिनांक | दिनांक १६ जानेवारी, २०२५ रोजी रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये |

११. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी:-

- ११.१ भरावयाच्या उपरोक्त विषय / पदांचा सामाजिक / समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील शासनाच्या मागणीपत्रानुसार आहे. तसेच, वर नमूद केलेल्या पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.
- ११.२ शासनाकडून पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल प्राप्त झाल्यास याबाबतची माहिती / बदल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल व त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
- ११.३ विविध मागास प्रवर्ग, महिला, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादींसाठी सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.
- ११.४ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी ते समाजातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटात मोडत नाहीत, असे अर्जांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे व त्याबाबतचे सक्षम प्रधिकार्याने प्रदान केलेले विहित नमुन्यातील वैध नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- ११.५ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-महिआ २०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दिनांक ०४ मे, २०२३ अन्वये विहित कार्यपध्दतीनुसार अराखीव महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी अराखीव महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- ११.६ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना संबंधित मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतुदी लागू राहतील.
- ११.७ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरीता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास अर्जांमध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून इतर सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी नॉन-क्रीमीलेअरमध्ये मोडत असल्याबाबतचा स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे.
- ११.८ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.
- ११.९ अर्ज करताना एखादी जात/जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकार्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.
- ११.१० समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.३९/१६-अ, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- ११.११ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ व दिनांक ३१ मे, २०२१ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच सदर संवर्गातील उमेदवारांकरीता शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ११.१२ सदर जाहिरात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिनियम दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ व संबंधित शासन निर्णय दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ संदर्भात मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. या जाहिराती संबंधित शिफारशी व नियुक्त्या उक्त उल्लेखित न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येतील. त्या अनुषंगाने आयोगामार्फत दिनांक २६ एप्रिल, २०२४ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले प्रसिध्दीपत्रक जाहिरातीस लागू राहिल.

- ११.१३ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:बीसीसी/प्र.क्र.७५/१६-क, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाकरीता आरक्षण विहित करण्यात आले असून शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-बीसीसी-२०२४/ प्र.क्र.७५/आरक्षण-५, दिनांक २८ जून, २०२४ व दिनांक ०५ जुलै, २०२४ मध्ये दिलेल्या सुचनेनुसार विहित करण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ११.१४ शासन शुध्दीपत्रक, इतर समाज बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७६/मावक, दिनांक ०९ मार्च, २०२३ अन्वये शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी कालावधी विचारात घेण्यात येईल. **प्रस्तुत संवर्गाकरीता २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचे उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहिल.**
- ११.१५ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
- ११.१६ अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता गुणवत्तेच्या आधारे सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित/उपलब्ध नसले तरी, अर्जांमध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
- ११.१७ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.
- ११.१८ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. वैध प्रमाणपत्रांचा कालावधी संबंधित शासन आदेशावरील तरतुदीनुसार (लागू असेल त्याप्रमाणे) ग्राह्य समजण्यात येईल.
- ११.१९ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.

११.२० खेळाडू आरक्षण:-

- ११.२०.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीडुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६, तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक:राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीडुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीडुसे-२, दिनांक ३० जून, २०२२ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ११.२०.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.
- ११.२०.३ विहित दिनांकास खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीचे सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.
- ११.२०.४ अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे सक्षम क्रीडा प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले क्रीडा प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास अथवा सादर प्राधिकरणाकडे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती सादर केली नसल्यास, संबंधित उमेदवाराचा खेळाडूकरीता आरक्षित पदावर विचार करण्यात येणार नाही.
- ११.२०.५ कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी संबंधित विषय / पदाकरीता विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र, प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता उमेदवार पात्र ठरतो, याविषयी सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले विहित दिनांकास वैध असलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशीकरीता विचार करण्यात येईल.
- ११.२०.६ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

११.२१ दिव्यांग आरक्षण:-

- ११.२१.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ११.२१.२ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक संकीर्ण १०२१/प्र.क्र. ५७/२१/वैसेवा-१, दिनांक १७ जून, २०२१ अन्वये खालील दिव्यांग प्रवर्गातील व्यक्ती /उमेदवार सादर पदाकरीता अर्ज करण्यास पात्र आहेत:-

| संवर्ग | विषय | पात्र दिव्यांग सुनिश्चिती |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राध्यापक | अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र, (Orthopaedics) | Specific Learning Disability |
| | स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र, (Obstetrics and Gynecology) | |
| | बधिरीकरणशास्त्र (Anasthsiology) | |
| बालरोगचिकित्साशास्त्र, (Paediatrics) | | a)One Leg, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Leprosy Cured. b) Specific Learning Disability |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | औषधवैद्यकशास्त्र (General Medicine) | (a) One Leg, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Leprosy Cured, (b) Special Learning Disability |
| सहायक प्राध्यापक | न्यायवैद्यकशास्त्र (Forensic Medicine) | a) One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Hard of Hearing b) Leprosy Cured c) Specific Learning Disability |
| | विकृतीशास्त्र (Pathology) | (a) Hard of Hearing (b) One Arm, Both Arm, One Leg, Both Legs, One Arm and One Leg, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims © Autism Spectrum Disorder(Mild), Specific Learning Disability, Mental Illness |
| | शरिररचनाशास्त्र (Anatomy) | (a) Hard of Hearing (b) One Arm, Both Arm, One Leg, Both Legs, One Arm and One Leg, Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims © Autism Spectrum Disorder(Mild), Specific Learning Disability, Mental Illness |
| | क्षयरोग व उरोरोगशास्त्र, (Tuberculosis and Chest Disease) | a) One Arm, Both Arm, One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims b) Autism Spectrum Disorder(Mild), Specific Learning Disability, Mental Illness c) Multiple Disabilities involving (a) to (b) above |
| | शल्यचिकित्साशास्त्र (General Surgery) | a) Dwarfism b) Specific Learning Disability |
| | नेत्रशल्यचिकित्साशास्त्र, (Ophthalmology) | |
| | औषधवैद्यकशास्त्र (General Medicine) | (a) One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Leprosy Cured |
| | बालरोगचिकित्साशास्त्र (Paediatrics) | (b) Specific Learning Disability |
| | बधिरीकरणशास्त्र (Anesthesiology) | (a) Specific Learning Disability, |
| | अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र (Orthopaedics) | |
| औषधशास्त्र (Pharmacology) | a) Blind, Low Vision b) Hard Of Hearing c) One Arm, Both Arm, One Leg, Both Legs, One Arm and One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims d) Autism Spectrum Disorder(Mild), Specific Learning Disability, Mental Illness e) Multiple Disabilities involving (a) to (d) above | |
| मनोविकृतीशास्त्र (Psychiatry) | a) One Arm, Both Arm, One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims b) Autism Spectrum Disorder(Mild), Specific Learning Disability, Mental Illness c) Multiple Disabilities involving (a) to (b) above | |
| त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र (Dermatology) | (a) Hard of Hearing, (b) One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Leprosy Cured © Specific Learning Disability | |
| | सुक्ष्मजीवशास्त्र (Micro-Biology) | (a) Hard of Hearing (b) One Arm, Both Arm, One Leg, Both Legs, One Arm and One Leg, Spinal Deformity(SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological dysfunction, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims (c) Mental Illness (d) Multiple Disabilities involving (a) to (c) above |

- ११.२१.३ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.
- ११.२१.४ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित विषय /पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहिल.
- ११.२१.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.
- ११.२१.६ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी / सवलतीसाठी पात्र असतील.
- ११.२१.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:-
 (१) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती.
 (२) दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सायी सवलती
- ११.२१.८ लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या वयोमर्यादांचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
- ११.२१.९ शासन परिपत्रक, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक: दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.८६/दि.क.२, दिनांक २७ जून, २०२४ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये / भविष्यात वेळोवेळी स्थापन करण्यात आलेल्या / येणाऱ्या वैद्यकीय मंडळामार्फत दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) प्राप्त करून घेणे अनिवार्य आहे. वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) प्राप्त करून घेण्यासाठी नोंदणी केल्यानंतर प्रत्यक्षात सदर ओळखपत्र प्राप्त होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांगत्वाच्या सवलती / योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांचेकडे असलेले दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रासोबत वैश्विक ओळखपत्रासाठीचा नाव नोंदणी क्रमांक (Enrollment Number) सादर करणे अनिवार्य राहिल. दिव्यांग उमेदवारांनी अर्ज करताना शासन परिपत्रक, दिव्यांग कल्याण विभाग, क्रमांक: दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.८६/ दि.क.२, दिनांक २७ जून, २०२४ मधील सर्व तरतुदींचे अवलोकन करण्यात यावे. त्यातील तरतुदीनुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- ११.२१.१० लक्षणीय दिव्यांगत्व असणाऱ्या उमेदवारांना अर्जांमध्ये नमूद केलेला दिव्यांगत्वाचा प्रकार / उप प्रकार बदलणे अनुज्ञेय नाही.
- ११.२२ अनाथ आरक्षण :-
- ११.२२.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक: अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक ६ एप्रिल, २०२३, दिनांक १० मे, २०२३ नुसार शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.
- ११.२२.२ अनाथ आरक्षण धोरण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, पूरकपत्र क्रमांक: अनाथ-२०२२/प्र.क्र.१२२/का-०३, दिनांक १० मे, २०२३ अन्वये एखाद्या भरती प्रक्रियेमध्ये अनाथ आरक्षणाच्या एका प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांवर गुणवत्तेनुसार त्या प्रवर्गातील अनाथ उमेदवार पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले नाहीत तर त्या भरती प्रक्रियेमध्ये ती पदे अनाथांच्या दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.
- ११.२२.३ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे; त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.
- ११.२२.४ प्रस्तुत पदासाठी अर्जाद्वारे अनाथ आरक्षणाचा दावा केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२२, दिनांक ६ एप्रिल, २०२३ आणि दिनांक १० मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आयोगाकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहिल. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

१२. वेतनश्रेणी :-

| अ.क्र. | संवर्ग | वेतनश्रेणी/ वेतन स्तर |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| १ | विविध विषयातील प्राध्यापक | १,४४,२००/- ते रुपये २,१८,२००/- |
| २ | विविध विषयातील सहायक प्राध्यापक | ५७,७००/- ते रुपये १,८२,२००/- |

१३. पात्रता :-

१३.१ भारतीय नागरिकत्व

१३.२ वयोमर्यादा :-

| विषय | वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक | किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. | कमाल वय | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | अराखीव (खुला) | मागासवर्गीय/ आ.दु.घ./ अनाथ | प्राविण्य प्राप्त खेळाडू | | माजी सैनिक, आणित्वाणी व अल्पसेवा राजदिवि अधिकारी | | दिव्यांग उमेदवार |
| | | | | | अराखीव (खुला) | मागासवर्गीय/ आ.दु.घ./ अनाथ | अराखीव (खुला) | मागासवर्गीय/ आ.दु.घ./ अनाथ | |
| प्राध्यापक | दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ | १९ | ५० | ५५ | ५० | ५५ | सैनिकी सेवेचा कालावधी अधिक ३ वर्षे | | ५० |
| सहायक प्राध्यापक | | १९ | ४० | ४५ | ४३ | ४५ | सैनिकी सेवेचा कालावधी अधिक ३ वर्षे | | ४५ |

१३.२.१ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उच्च वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम राहिल.

१३.२.२ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी, मागासवर्गीय उमेदवार, दिव्यांग, अनाथ आणि खेळाडू यांना असलेली वयोमर्यादेतील शिथिलतेची सवलत यापैकी कोणतीही अधिकतम असलेली एकच सवलत देय राहिल.

१४. शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव:- विविध विषयातील प्राध्यापक संवर्गाकरिता

possess the qualification mentioned against the respective subject to which the post is assigned:

| Sr. No. | Name of post and subject | Required Educational Qualification | Experience |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | Professor in Orthopaedics. | M.S. (Orthopaedics)/ DNB (Orthopaedics) | i) Associate Professor in the Subject for three years in a permitted / recognized Medical College/ Institution. ii) Should have at least four Research publications (at least two as Associate Professor) [only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in Journals Indexed in Medline, PubMed, Central Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open Access Journals (DoAJ) will be considered]. (iii) Should have completed the basic course in Medical Education Technology from Institutions designated by NMC. (iv) Should have completed the basic course in Biomedical Research from Institutions designated by NMC. |
| २ | Professor in Obstetrics and Gynaecology. | M.D. (Obstetrics and Gynaecology) /M.S. (Obstetrics and Gynaecology) /DNB (Obstetrics and Gynaecology) | |
| ३ | Professor in Anasthasiology. | M.D. (Anasthasiology)/ M.S. (Anasthasiology) / DNB (Anasthasiology) | |
| ४ | Professor in Padiatrics. | M.D. (Padiatrics) / DNB (Padiatrics) | |
| ५ | Professor, General Medicine | M.D.(Medicine) / M.D. (General Medicine) / Diplomate of National Board (Medicine) / Diplomate of National Board (General Medicine) | |

१४.१. शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव:- विविध विषयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गाकरिता:-

possess the qualification mentioned against the respective subject to which the post is assigned:

| Sr. No. | Name of post and subject | Required Educational Qualification | Experience |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | Assistant Professor, Anatomy. | M.D.(Anatomy) / M.S.(Anatomy) / MBBS with M.Sc.(Anatomy) / M.Sc.(Med. Anatomy) with Ph.D (Med. Anatomy) / M.Sc.(Med. Anatomy) with D.Sc.(Med.Anatomy) / DNB (Anatomy) / M.Sc(Med. Anatomy) | One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/ permitted medical college after acquiring MD/MS Degree. |
| २ | Assistant Professor, Pathology | M.D.(Pathology) / DNB(Pathology) | |
| ३ | Assistant Professor, Forensic Medicine | M.D.(Forensic Med.) / DNB (Forensic. Med) | |
| ४ | Assistant Professor, General Medicine. | M.D. Medicine / M.D.General Medicine / DNB (Medicine) / DNB (General Medicine) | |
| ५ | Assistant Professor, General Surgery. | M.S.Surgery / M.S.General Surgery / DNB (Surgery) / DNB (General Surgery) | |
| ६ | Assistant Professor, Paediatrics. | M.D. (Paediatrics) / DNB (Paediatrics). | |
| ७ | Assistant Professor, Tuberculosis Chest Diseases. | M.D.(Tuberculosis) / M.D.(Tuberculosis and Respiratory Diseases) / M.D.(Medicine) with T.D.D,DTD OR D.T.C.D / M.D.(TB and Chest Diseases) / M.D.(Respiratory Medicine) / DNB(Respiratory Diseases) | |
| ८ | Assistant Professor, Psychiatry. | M.D.(Psychiatry / Psychological Medicine) / M.D in Medicine with Diploma in Psychological Medicine / DNB (Psychiatry) | |
| ९ | Assistant Professor, Dermatology, Venereology and Leprosy | M.D.(Dermatology and Venereology) / M.D.(Dermatology, Venereology and Leprosy) / M.D.(Dermatology) / M.D.(Dermatology including Venereology) / M.D.(Dermatology including Venereology / Leprosy) / M.D.(Medicine) with D.V.D or D.D / DNB (Dermatology and Venereology) | |
| १० | Assistant Professor, Orthopaedics. | M.S.(Orthopaedics) / DNB (Orthopaedics)/ | |
| ११ | Assistant Professor, Ophthalmology. | M.D.(Ophthalmology) / M.S.(Ophthalmology) / DNB (Ophthalmology) | |
| १२ | Assistant Professor, Anesthesiology. | M.D.(Anesthesiology) / M.S.(Anesthesiology) / DNB(Anesthesiology) | |
| १३ | Assistant Professor, Pharmacology | M.D. Pharmacology /DNB / MBBS with Ph.D (Medical Pharmacology) | |
| १४ | Assistant Professor, Microbiology | M.D. (Bacteriology) / M.D (Microbiology) / MBBS with M.Sc. (Medical Bacteriology) / DNB (Microbiology) | |

१४.२ प्राधान्यशील अर्हता:- विविध विषयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गाकरिता:-

- (I) Provided that, the preference shall be given to candidates having exceptional educational qualification or research experience in the relevant subject, or both;
- (II) provided further that, the preference shall be given to candidates having three years teaching experience in the concerned subject in a recognised Medical College as Resident or Registrar or Demonstrator or Tutor :
- (III) Provided also that the medical qualification essential for recruitment to the posts of Assistant Professor in the subjects specified in column 2 of the Schedule Assistant Professors in Government Medical College, Medical Education and Research Services, Group B (Gazzatted) (Recruitment) rules, 2012 shall be deemed to have been amended, from time to time, in accordance with the recognition or derecognition thereof by the Medical Council of India, from time to time.

१४.३ शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाचा कालावधी गणना करण्याचा दिनांक:-

१४.३.१ प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास संबंधित शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.

१४.३.२ अनुभवाच्या कालावधीची गणना प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्याकरीता विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास करण्यात येईल.

१४.४ अनुभवाच्या दाव्यांबाबत:-

आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे विविध स्वरूपाचे दावे करताना अथवा दावे अद्ययावत करताना प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अनुभवाच्या दाव्यांनुसार विविध विषयातील प्राध्यापक संवर्गास पात्र होण्यासाठी उमेदवाराने **Nature of Job - Teaching** तसेच विविध विषयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गास पात्र होण्यासाठी उमेदवाराने **Nature of Job - Teaching/ Sr.Resident/ Registrar/ Demonstrator/ Tutor/ Lecturer/ Assistant Professor** असे नमूद करणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय, ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे अर्ज स्वीकृत होऊ शकणार नाही.

१४.५ As Per NMC Teachers Eligibility Qualification Regulations, 2022, Dated 14th February, 2022 :-

In the Departments of Anatomy, Physiology and Biochemistry, non-medical graduates having M.Sc. (relevant medical) and PhD qualifications, granted by the recognized Medical College/Institute as regular on campus course in the subject concerned, Can be appointed as Assistant Professors. A non-medical person cannot be appointed as Dean or Director or Principal or Medical Superintendent or Head of the Department.

Provided that non-medical graduates appointed as Assistant Professors in the subjects of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology and Microbiology on the basis of MSc degree prior to the coming into force of Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institution Regulations, 1998 on 05.12.1998) shall be eligible to be considered as Assistant Professors. However, PhD degree in concerned medical subject is essential for promotion to higher teaching position. Such persons shall also be eligible after their retirement to serve as faculty on the same position from which they had retired until the permissible age for serving in a Medical College.

१४.६ शासन पत्र, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक आरक्युएन-१११९/प्र.क्र.२८३/वैसेवा-३, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२३ अन्वये खालील अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत:-

In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, non-medical teachers may be appointed to the extent of 15% of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognised University as per requirements in Teacher Eligibility Qualification Regulations.

१४.७ As Per NMC Teachers Eligibility Qualification Regulations, 2022, Dated 14th February, 2022 :-

Determination of equivalence of the qualification of DNB (Broad Specialties) with MD/MS and DNB (Super Specialties) with DM/MCh

The Diplomate of National Board (DNB) in broad specialty and super specialty qualifications when granted in a medical institution with attached hospital or in a hospital with the strength of five hundred or more beds, by the National Board of Examinations, shall be equivalent in all respects to the corresponding broad specialty (MD/MS) and super specialty (DM/MCh) postgraduate qualification, but in all other cases, senior residency in a medical college for an additional period of one year shall be required for such qualification to be equivalent for the purposes of teaching.

१४.८ The qualification mentioned in the Schedule shall be the qualification mentioned in the Schedule to the Central Act.

१४.९ A post-graduate qualification and experienced mentioned in the Schedule shall stand amended in accordance with the recognition or de-recognition, as the case may be, of such post-graduate qualification and experience by the Medical Council of India / National Medical Commission, from time to time.

१४.१० "A person appointed to the post of the Assistant Professor shall be required to get registered his name in the register maintained under the Maharashtra Medical Council Act, 1965 (Mah. XLVI of 1965) or in the register maintained under the Indian Medical Council Act, 1956 (Central II of 1956), before joining the appointment, unless he has already been so registered and his name is borne on the Indian Medical Register."

१४.११ Provided that, candidates possessing non-medical qualifications appointed under proviso of rule 3 need not be so registered.

१४.१२ All the selections will be made as per the MCI/NMC norms.

१४.१३ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाद्वारे वैद्यकीय संस्थांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भात दिनांक ८ जून, १९९८, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२२ व दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनांनुसार शैक्षणिक अर्हता तसेच अनुभव ग्राह्य समजण्यात येतील.

१५. **कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या:-** प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या <https://mpsc.gov.in> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

१६. निवडप्रक्रिया:-

१६.१ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून, किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही.

१६.२ जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त अर्जांची संख्या आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील तरतुदीनुसार वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोयीस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीमध्ये नमूद शैक्षणिक अर्हता आणि/अथवा अनुभव यापेक्षा अधिक शैक्षणिक अर्हता/अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष यांच्या आधारे अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल.

१६.३ चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही.

१६.४ चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी (लागू असल्यास) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येतील.

१६.५ चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल.

१६.६ मुलाखतीमध्ये किमान ४१% व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांचाच शिफारशीसाठी विचार केला जाईल.

१६.७ प्रस्तुत पदाची निवड प्रक्रिया वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवेतील प्राध्यापक, गट-अ (सेवाप्रवेश नियम) २०१३, तदनंतर शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाद्वारे वैद्यकीय संस्थांमधील शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भातील दिनांक ८ जून, १९९८, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२२ व दिनांक १६ ऑगस्ट, २०२३ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनांनुसार तसेच आयोगाकडून वेळोवेळी सुधारण्यात येणा-या कार्यनियमावली / कार्यपध्दतीनुसार राबविण्यात येईल.

१६.८ अंतिम शिफारस यादी तयार करताना समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची क्रमवारी (Ranking) आयोगाच्या दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकामधील तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात येईल.

१७. अर्ज करण्याची पध्दत:-

१७.१ अर्ज सादर करण्याचे टप्पे:-

१७.१.१ आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवर यापूर्वी विहित पध्दतीने नोंदणी केली नसल्यास नोंदणी करून खाते (Profile) तयार करणे.

१७.१.२ खाते तयार केलेले असल्यास व ते अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असल्यास अद्ययावत करणे.

१७.१.३ विहित कालावधीत तसेच विहित पध्दतीने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे.

१७.१.४ परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे.

१७.२ विहित प्रमाणपत्र/कागदपत्रे अपलोड करणे.

१७.२.१ प्रोफाईलद्वारे केलेल्या विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने उमेदवाराची पात्रता अजमावल्यानंतर (Check eligibility) उमेदवार जाहिरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अर्ज सादर करताना खालील कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करावी लागतील :-

| अ. क्र. | प्रमाणपत्र/कागदपत्र | फाईल फॉर्मेट | किमान फाईल साईज (KB) | कमाल फाईल साईज (KB) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| १ | अर्जातील नावाचा पुरावा (एस.एस.सी. अथवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता) | PDF | ५० | ५०० |
| २ | वयाचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ३ | शैक्षणिक अर्हता इत्यादीचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ४ | सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याबाबतचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ५ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ६ | वैध नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र | PDF | ५० | ५०० |
| ७ | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ८ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ९ | अनाथ आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| १० | खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| ११ | अराखीव महिला, मागासवर्गीय, आ.दु.घ., खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ, माजी सैनिक आरक्षणाचा दावा असल्यास अधिवास प्रमाणपत्र | PDF | ५० | ५०० |
| १२ | एस.एस.सी. नावात बदल झाल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| १३ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| १४ | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन | PDF | ५० | ५०० |
| १५ | विहित अनुभवाचा पुरावा | PDF | ५० | ५०० |
| १६ | अर्जात केलेल्या दाव्यानुसार प्रकाशनांच्या प्रती (केवळ प्राध्यापक संवर्गाकरीता) | PDF | ५० | १००० |
| १७ | NMC recognized Basic Course in Medical Education Technology completion Certificate (केवळ प्राध्यापक संवर्गाकरीता) | PDF | ५० | ५०० |
| १८ | NMC recognized Basic Course in Biomedical Research completion Certificate (केवळ प्राध्यापक संवर्गाकरीता) | PDF | ५० | ५०० |
| १९ | राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्याकरीता वयोमर्यादेतील सवलतीचा दावा असल्यास सादर करावयाचे प्रमाणपत्र | PDF | ५० | ५०० |
| २० | महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिनियम १९६५ / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम १९५६ अन्वये नोंद केलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत | PDF | ५० | ५०० |
| २१ | उमेदवाराने धारण केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेस भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यांची मान्यता असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र | PDF | ५० | ५०० |

१७.२.२ उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' प्रकरण क्रमांक चार मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवार्य आहे.

१७.२.३ संबंधित जाहिरातीस अनुसरून विहित निकष/पात्रता तसेच प्रोफाईलमधील दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. प्रोफाईलमधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अपलोड करावयाची संबंधित कागदपत्रे प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करताना प्रदर्शित होतील.

१७.२.४ पात्रतेसंदर्भातील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय अर्ज सादर करता येणार नाही.

१७.२.५ अनुभवाच्या दाव्याच्या पृष्ठार्थ उमेदवारांनी संबंधित संस्थेच्या नाममुद्रीत पत्रावर सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले सविस्तर व परिपूर्ण अनुभव प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये उमेदवाराचे नाव, पदाचे नाव, पदाचा तपशील, वेतनश्रेणी, अर्जात दावा केलेल्या पदावरील अनुभवाचा कालावधी व पदावरील नेमणूकीचे स्वरूप इ. स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

१७.३ सर्वसाधारण:-

(एक) अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील.

(दोन) अर्ज सादर करण्याकरीता संकेतस्थळ:- <https://mpsonline.gov.in>

(तीन) ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या <https://mpsonline.gov.in> तसेच <https://mpsc.gov.in> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

(चार) आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही.

१७.४ शुल्क (रुपये) :-

(एक) अराखीव (खुला) - रुपये ७१९/-

(दोन) मागासवर्गीय / आर्थिक दुर्बल घटक / अनाथ / दिव्यांग - रुपये ४४९/-

(तीन) उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्त बँक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील.

(चार) परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

१७.५ अर्ज सादरीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाल्यावर उपलब्ध होणाऱ्या 'Submit and Pay fees' या बटनवर क्लिक केल्यानंतर किंवा मुख पृष्ठावरील 'माझे खाते' या सदराखालील अर्ज केलेल्या पदांच्या यादीतील 'Fees not Paid' अशी सद्यस्थिती लिहिलेल्या जाहिरात/पद/परीक्षेसमोरील 'Pay Now' या लिंकवर क्लिक करून परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल.

१७.६ परीक्षा शुल्काचा भरणा खालील दोन पद्धतीने करता येईल:-

(एक) ऑनलाईन पद्धतीने :-

(१) भारतीय स्टेट बँक तसेच प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या कोणत्याही एका पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगद्वारे परीक्षा शुल्क अदा करता येईल.

(२) परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बँक खात्यामधून परीक्षा शुल्काच्या रकमेची वजावट झाल्यावर परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे झाला (Payment Successful) असल्याचा संदेश आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीच्या पृष्ठावर प्रदर्शित झाल्याशिवाय व परीक्षा शुल्काची पावती तयार झाल्याशिवाय संकेतस्थळावरील संबंधित पृष्ठावरून आणि/अथवा खात्यातून लॉगआऊट होऊ नये.

(३) परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाइलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी झाला आहे किंवा कसे, याची स्थिती (Status) लगेचच अवगत होईल. खात्यातून Logout होण्यापूर्वी परीक्षा शुल्क यशस्वीपणे भरले असल्याबाबत व बँकेकडून व्यवहार (Transaction) पूर्ण झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.

(४) कोणत्याही कारणामुळे विहित कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वीपणे करणे शक्य न झाल्यास अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकांनंतर दोन दिवसांपर्यंत परीक्षाशुल्काचा भरणा ऑफलाईन पद्धतीने करण्याकरीता चलनाची प्रत घेता येईल.

(दोन) ऑफलाईन पद्धतीने (चलनाद्वारे) :-

चलनाद्वारे परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याचा विकल्प निवडल्यास उपलब्ध होणारी चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत विहित अंतिम दिनांकापूर्वी परीक्षा शुल्काचा भरणा करता येईल. तथापि, चलनाची प्रत घेणे व बँकेत शुल्क जमा करणे, यामध्ये किमान तीन तासांचे कालावधी राहिल, याची दक्षता घ्यावी.

१७.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा यशस्वी न झाल्यास पुन्हा शुल्क भरण्याची अथवा चलन घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तुत जाहिरातीच्या/अधिसूचनेच्या अनुषंगाने विहित दिनांकापूर्वीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव व्यवहार अयशस्वी ठरल्यास यासंदर्भातील तक्रारीची आयोगाकडून दखल घेतली जाणार नाही.

१७.८ विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करू न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित भरतीप्रक्रियेकरीता विचार केला जाणार नाही. यासंदर्भात आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचनांमधील संबंधित तरतुदीचे अवलोकन करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहिल.

१८. सेवाप्रवेशोत्तर शर्ती:-

१८.१ नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस खालील अर्हता/परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल:-

(एक) या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने निर्धारित केलेली विभागीय परीक्षा पास होणे आणि परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहिल. विहित कालावधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास किंवा परिवीक्षाधीन कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण न केल्यास किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेली नसल्यास किंवा तो त्या पदासाठी पात्र नसल्याचे आढळून आल्यास तो सेवा समाप्त करण्यास पात्र राहिल.

(दोन) विभागीय परीक्षा आणि हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झालेली नसेल किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेली नसेल तर त्याने सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहिल.

(तीन) शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.), क्रमांक: मातंसं-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३, शासन पूरकपत्र, क्रमांक मातंसं-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८ जानेवारी, २०१८ व १६ जुलै, २०२१ अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणी/वापरण्याबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहिल.

१८.२ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक क्रमांक-परिवी-२७१४/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२ जून, २०२१ अन्वये विहित कार्यपद्धतीनुसार परिवीक्षा धोरणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

१८.३ परिवीक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण केला नाही किंवा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही किंवा त्या पदाकरीता तो/ती योग्य नसल्याचे आढळून आले तर सूचना न देता त्याची/तिची सेवा समाप्त केली जाण्यास पात्र असेल.

१८.४ शासन निर्णय दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२१ मधील तरतुदीनुसार नव्याने स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, अलिबाग, धाराशिव, नंदुरबार, परभणी, सातारा व सिंधुदुर्ग या महाविद्यालयांकरिता निवड झालेल्या उमेदवारांनी सदरच्या संस्थेत किमान ६ वर्ष सेवा बजावणे बंधनकारक राहिल.

१९. पदभरतीसंदर्भात काही अनुचित प्रकार घडल्यास महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून कार्यवाही करण्यात येईल

२०. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये परीक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या <https://mpsc.gov.in> या संकेतस्थळावरील 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती तसेच जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल.

२१. सदर जाहिरात आयोगाच्या <https://mpsc.gov.in> तसेच <https://mpsconline.gov.in> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ठिकाण : नवी मुंबई.

उप सचिव, (जाहिरात)

दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२४

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग.

- (१) आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात, तसेच, शारीरिक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
- (२) प्रमाणपत्र तपासणीच्या वेळी पात्रतेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास शिफारस/नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही.